राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी-दीपशिखा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या– 2 / 2022
जी०सी०एम०एस० संख्या– 2022 / 33
दायर दिनांक– 10.1.2022
निर्णय दिनांक– 12.06.2025

उनवानी–

1. बद्रीनारायण पुत्र स्व0 लालचन्द जाति कुम्हार नि0 रूपनगढ़ जिला अजमेर
2. लक्ष्मण पुत्र स्व0 लालचन्द जाति कुम्हार नि0 रूपनगढ़ जिला अजमेर
3. गीता देवी पत्नि स्व0 लालचन्द जाति कुम्हार नि0 रूपनगढ़ जिला अजमेर
4. सुशिला देवी पुत्री स्व0 लालचन्द हाल निवासी गोविन्दगढ़ जिला अजमेर

.....वादीगण

बनाम

1. देवकरण पुत्र राधाकिशन
2. देवीलाल पुत्र राधाकिशन
3. गोपाल पुत्र राधाकिशन
4. रामस्वरूप पुत्र राधाकिशन
5. कैलाशचन्द पुत्र बिरदीचन्द
6. दुर्गालाल पुत्र बिरदीचन्द
7. भंवरी पत्नि बिरदीचन्द
8. लक्ष्मण पुत्र बिरदीचन्द
9. मदनलाल पुत्र रामानन्द
10. शिभू पुत्र रामानन्द
   सर्वजाति कुम्हार, सर्वनिवासी ग्राम रूपनगढ़ तह0 रूपनगढ़
11. बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जरिये शाखा प्रबंधक शाखा रामनेर ढाणी तहसील व जिला अजमेर
12. बैंक ऑफ बडौदा जरिये शाखा प्रबंधक शाखा रूपनगढ़
13. बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जरिये शाखा प्रबंधक शाखा सुरसुरा
14. उपपंजीयक रूपनगढ़ जिला अजमेर
15. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ जिला अजमेर

.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–: 1. श्री रामदेव गुर्जर अधि0 वादीगण
2 श्री अरविन्द दाधीच अधि0 प्रतिवादी सं. 5 से 10 व 12
3 विमल किशोर तिवाड़ी अधि0 प्रति0 सं. 1 से 3, 5, 6, 9, 10

–:निर्णय:–

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त पैतृक, कब्जे काश्त, उपयोग–उपभोग सहखातेदारी की आराजी ग्राम रूपनगढ़ पटवार हल्का रूपनगढ़ तहसील रूपनगढ़ स्थित ख0न0 1247 रकबा 0.0323 है0, ख0न0 1248 रकबा 7.5560 है0 ख0न0 1974 रकबा 3.9964 है0 भूमि स्थित है जो वादीगण अपने पैतृक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काश्त है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 एक ही परिवार के सदस्य है। जो वादीगण के दादा/पूर्वाधिकारी राधाकिशन पुत्र गणेश का पारिवारिक सजरा व वर्णित आराजी में प्राप्त हिस्सा अंकित है। उपरोक्त छोटी देवी पुत्री राधाकिशन द्वारा दिनांक 07.10.2010 को जरिये रजिस्टर्ड हकत्याग/ रिलीजडीड से रामस्वरूप, गोपाल, देवीलाल, देवकरण पुत्रगण राधाकिशन व वादी संख्या 1 बद्रीनारायण व वादी संख्या 2 लक्ष्मण के पक्ष में हक–त्याग/रिलीजडीड उपपंजीयक रूपनगढ़ के समक्ष निष्पादित कर दी गयी। जिससे उक्त आराजी मे रामस्वरूप का 1/15 हिस्सा, गोपाल का 1/15 हिस्सा, देवीलाल का 1/15 हिस्सा व देवकरण का 1/15 हिस्सा अधिकार अभिलेख में इन्द्राज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Deepshikha
Date: 2025.07.09 11:49:55 IST
Reason: SelfAttested

एवं वादी संख्या 1 को हकत्याग से 1/180 व वादी संख्या 2 को 1/180 हिस्सा प्राप्त है जो इसी अनुसार इन्द्राज होना चाहिए था परन्तु अधिकार अभिलेख वादी संख्या 1 वास्तविक व सही नाम बद्रीनारायण के त्रुटिपूर्ण इन्द्राज करते हुये बद्री (हिस्सा 1/270), नारायण (हिस्सा 1/270) व वादी संख्या 2 लक्ष्मण (1/270 हिस्सा) अर्थात त्रुटिपूर्ण इन्द्राज से हकत्याग से प्राप्त हिस्से को तीन हिस्सों में विभाजित कर राजस्व रिकार्ड में त्रुटिपूर्ण इन्द्राज कर दिया गया है जबकि रिलिजडीड से वास्तविक प्राप्त हिस्सा वादी संख्या 1 बद्रीनारायण का 1/180 हिस्सा व वादी संख्या 2 का 1/180 हिस्सा एवं अलग से लालचन्द पुत्र राधाकिशन का 1/18 हिस्से में से वादीगण 4 वारिस होने से प्रत्येक को 1/72-1/72 अर्थात वादी संख्या 1 (बद्रीनारायण) को रिलीजडीड से 1/180 व विरासतन 1/72 कुल 7/360 हिस्सा, वादी संख्या 2 (लक्ष्मण) को रिलीजडीड से 1/180 व विरासतन 1/72 हिस्सा व वादी संख्या 4 को अपने पिता से विरासतन 1/72 हिस्सा वैधानिक रूप से प्राप्त करने के अधिकारी है। वादीगण के पति/पिता लालचन्द पुत्र राधाकिशन का अधिकार अभिलेख में अपने विरासतन हिस्सा 1/18 इन्द्राज है जिसमें वादीगण को बराबर-बराबर हिस्सा निहित है वादीगण के पति/पिता की मृत्यु दिनांक 23.8.2021 को हो चुकी है इस कारण विरासतन हिस्से में वादीगण उद्घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। रिलीजडीड उपरान्तवादी संख्या 1 को 1/180 व वादी संख्या 2 को 1/180 हिस्सा प्राप्त हुआ है परन्तु वादी संख्या 1 का वास्तविक पुरा नाम बद्रीनारायण है जिसका अधिकार अभिलेख में त्रुटिपूर्ण इन्द्राज करते हुये बद्री व नारायण को अलग-अलग करते हुए जमाबन्दी में बद्री का हिस्सा 1/270, नारायण का हिस्सा 1/270 गलत इन्द्राज कर दिया गया जबकि वादी संख्या 1 बद्रीनारायण का 1/180 व वादी संख्या 2 लक्ष्मण का 1/180 होना चाहिए था जो उपरोक्त त्रुटिपूर्ण इन्द्राज को दुरूस्त करते हुये बद्री व बद्री का राजस्व अभिलेख में 1/270 हिस्से को डिलीट करते हुये नारायण को बद्रीनारायण करते हुये डिलीट बद्री के 1/270 हिस्से को वादी संख्या 1 व 2 में विभाजित करते हुये लालचन्द पुत्र राधाकिशन से प्राप्त विरासतन हिस्सा जो वादी संख्या 1 को 1/72 एवं रिलीजडीड से प्राप्त हिस्सा 1/180 दोनो का योग करते हुये वादी संख्या 1 को 7/360 हिस्सा, इसी अनुसार वादी संख्या 2 को लालचन्द पुत्र राधाकिशन से विरासतन हिस्सा 1/72 एव रिलीजडीड से प्राप्त हिस्सा 1/180 दोनो का योग करने हेतु वादी संख्या 2 को 7/360 हिस्सा व लालचन्द पुत्र राधाकिशन से विरासतन प्राप्त वादी संख्या 3 व 4 को पैतृक हिस्सा अर्थात वादी संख्या 3 का 1/72 व वादी संख्या 4 का 1/72 हिस्से की घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है जो वादी संख्या 3 व 4 द्वारा अपने पिता/पति के विरासतन हिस्से बावत् घोषणात्मक डिक्री चाही गयी है। वादीगण उक्त आराजी हकत्याग व पैतृक हिस्से अनुसार काबिज काश्त है परन्तु उक्त आराजी का अधिकार अभिलेख व राजस्व ट्रेस में विधिक विभाजन नहीं होने से आराजी में बुवाई, जुताई, हकाई, निराई, गुडाई के समय मेड़, सींव को लेकर मनमुटाव हो जाता है जिससे पारिवारिक व सामाजिक वातावरण खराब हो जाता है जिससे सामाजिक समरसता का विघटन होता है। इसलिए माननीय न्यायालय के समक्ष विभाजन/बंटवारे की डिक्री प्राप्त करने हेतु वाद पेश करना आवश्यक हुआ जिससे वादीगण का वाई मिट्स एण्ड बाउण्ड अर्थात अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी के आधार पर अलग से राजस्व ट्रेस में निहित हिस्से की तरमीम एवं खसरा, रकबा व जमाबन्दी एवं सभी काश्तकारो का अलग-अलग रास्ता दर्शित होने से विवाद उत्पन्न नहीं होगा एवं चाहे खसरा नम्बर का अधिकार अभिलेख में निहित हिस्से के अनुसार औसरा का निर्धारण कर विभाजन की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की गयी। प्रतिवादीगण के सम्मन तामिलशुदा प्राप्त। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 से 3, 5 से 10 व 12 की ओर से वकलान उपस्थित। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 5, 6, 9 व 10 की ओर से जवाब पेश किया गया जिसे वकील प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 7 व 8 ने इनके जवाब को अडोप्ट किया। प्रतिवादी संख्या 4 व 11 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 12 व 13 का जवाब बन्द किये जाने के आदेश प्रदान किये गये। प्रतिवादी संख्या 15 पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ ने प्रकरण में जवाब पेश किया। पैरोकार सरकार ने प्रकरण में किसी तरह का राजहित प्रभावित नहीं होना जाहिर किया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Deepshikha
Date: 2025.07.09 11:[illegible]9:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

प्रकरण में वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। वकील वादीगण ने अपनी बहस में [illegible] किया कि संयुक्त खातेदारी की भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 10 के मध्य मय [illegible] अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में वर्णित हिस्सेनुसार बंटवारा किया जाकर अलग खाता, अलग खसरा, अलग लगान कायम किये जाने एवं राजस्व नक्शे में बंटवारा अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश फरमावें। साथ ही वाद वर्णित भूमि में बद्री व नारायण के नाम को एक ही व्यक्ति बद्रीनारायण मानते हुए नाम शुद्ध करवाने की कृपा करावें। इसलिये बद्री व नारायण के हिस्से का योग बद्रीनारायण के हिस्से में मानते हुए प्राथमिक डिक्री में अंकन करवाने के आदेश प्रदान करावें। वकील प्रतिवादीगण ने बंटवारा किये जाने एवं बद्री व नारायण के नाम को एक ही व्यक्ति मानकर प्राथमिक डिक्री में शामिल किये जाने बाबत सहमति प्रदान की।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। तदनुसार वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा–53,88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी करने के आदेश दिये गये। तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना में कमिश्नरी रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) तैयार कर पेश किया गया। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर वकील उभयपक्ष को सुना गया। विभाजन प्रस्ताव पर वकील उभयपक्ष ने अपनी सहमति व्यक्त की।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। अतः मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद अंतिम डिक्री किया जाता है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 10 के मध्य मुताबिक विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान के हिस्से में वाद भूमि निम्नानुसार होगी—

क0 सं0	नाम खातेदार	ख0 न0	रकबा (है0)	किस्म
1	लक्ष्मण, भंवरी देवी, दुर्गालाल, कैलाशचन्द वारिसान बिरदीचन्द हि0 बराबर 1/4 जाति कुम्हार राहिन लक्ष्मण का हिस्सा बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा रूपनगढ़ कैलाशचन्द, दुर्गालाल का हिस्सा बड़ोदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रूपनगढ	1248/1 1974/8	2.4690 1.3321	का चाही 0.5565 है0 बा.1 1.9125 बा. 1
2	संतोष, सुर्ज्ञान वारिसान रामानन्द हि0 बराबर 1/15 मुकेश, लक्ष्मण, सेठाराम पि0 पूसाराम हि0 बराबर 1/45 सा0 नरवर, शिंभू, मदनलाल पिता रामानन्द हि0 बराबर 18/45 सुर्ज्ञान, संतोष, शिंभू, मदनलाल सा0 देह राहिन सर्व खातेदार बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा रूपनगढ़	1248/2 1974/1	2.4691 1.3322	बा. 1 बा.1 0.3343 बं.1 0.9978
3	देवकरण पुत्र राधाकिशन जाति कुम्हार हि0 पूर्ण सा0 देह रा0 बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा सुरसुरा	1248/3 1974/6	0.4938 0.2513	चा03 0.0795 का0 चाही 0.4143 बं0 1
4	देवीलाल पुत्र राधाकिशन जाति कुम्हार हि0 पूर्ण सा0 देह कुम्हार राहिन बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा रूपनगढ़	1248/4 1974/7	0.4939 0.2513	चाही 3 बं0 1
5	गोपाल पुत्र राधाकिशन हि0 पूर्ण जाति कुम्हार राहिन बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा रूपनगढ़	1248/5 1974/4	0.4938 0.2513	चाही 3 ब0 1
6	रामस्वरूप पुत्र राधाकिशन हि0 पूर्ण जाति कुम्हार राहिन बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा सुरसुरा	1248/7 1974/2	0.4938 0.2513	चाही 3 ब0 1
7	बद्रीनारायण पुत्र लालचन्द हि0 2/18 लक्ष्मण पुत्र लालचन्द 1/18 लालचन्द पुत्र राधाकिशन (फौत) का हिस्सा 15/18 इनके वारिसान बद्रीनारायण (पुत्र), लक्ष्मण (पुत्र), गीता देवी (पत्नि), सुशिला (पुत्री) के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन हो।	1248/6 1974/3	0.4938 0.2513	चाही 3 बं0 1
8	बदस्तुर जमाबन्दी	1247	0.0323	गै0मु0चाह
9	बदस्तुर जमाबन्दी	1248/8	0.1488	बा01 (रास्ता)
10	देवकरण, देवीलाल, गोपाल, रामस्वरूप वारिसान राधाकिशन हि0 बराबर 18/90 बद्रीनारायण पुत्र लालचन्द हि0 2/90, लक्ष्मण पुत्र लालचन्द हि0 1/90, लालचन्द पुत्र राधाकिशन हि0 15/90 सर्वजाति कुम्हार रा0 रामस्वरूप, देवकरण बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा सुरसुरा, देवीलाल,	1974/5	0.0756	बा0 2 0.0243 ब0 1 0.0513

Signature Not Verified
Digitally signed by Deepshikha
Date: 2025.07.09 11:59:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

गोपाल बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा रूपनगढ़			

विभाजन प्रस्ताव के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस इस अंतिम डिक्री का भाग होगा। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन बैंक पक्षकारान के नाम यथावत रखा जाकर उपरोक्तानुसार उनका खाता व लगान अलग–अलग कायम किया जाकर कृषि भूमि उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे। बाद विभाजन वादीगण के पक्ष में आयी उक्त आराजीयात् में प्रतिवादी संख्या 1 से 10 एवं उनके नोकर, चाकर, एजेन्ट आदि किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करने हेतु उन्हे जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। खर्चा वाद उभयपक्ष अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

दीपशिखा
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Deepshikha
Date: 2025.07.09 11:49:55 IST
Reason: SelfAttested